

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 410]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2021—आश्विन 22, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्र. एफ ए-5-1-2021-एक-(1)-1345.—माननीय न्यायाधिपति श्री रवि विजयकुमार मलिमठ, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय मंत्रालय) की अधिसूचना क्र. K-13015-04-2021-US. II दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 (पूर्वाह्न 11.45) को ग्रहण किया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-1-2021-एक-(1)-1346.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-2021-एक(1)-1345, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 14th October 2021

No. F A-5-1-2021-One (1)-1345.—Hon'ble Justice of Himachal Pradesh High Court Shri Justice Ravi Vijaykumar Malimath, who has been appointed as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court *vide* Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification No. K-13015-04-2021-US. II, dated 09th October 2021 has assumed the charge of his office on 14th October 2021 (at 11.45 A.M.).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.